भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 707

29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारतीय चिकित्सा पद्धति

707. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में विशेषकर मुम्बई, दादरा और नगर हवेली तथा औरंगाबाद के संभाजी नगर में परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए श्रृंखला-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक निष्पादित कार्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर दादरा और नगर हवेली तथा औरंगाबाद के संभाजी नगर में आयुष उपचार की प्रभावकारिता एवं सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए किए जा रहे अनुसंधान पहलों एवं परीक्षणों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक देश भर में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित मुंबई और औरंगाबाद में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उठाए गए प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा और नागर हवेली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा पद्धति में बढ़ावा देने और एकीकृत करने के उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की नीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प उपलब्ध हो सके। आयुष चिकित्सकों/पैराचिकित्सकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

i. आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन जिसे अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का नाम दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/ नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

ix. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें समेकित अनुदान सहायता जारी की जा रही है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक जारी अनुदान सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय के तहत, 05 अनुसंधान परिषदों और 12 राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए आयुष उपचारों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान पहल और नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं और इसका ब्यौरा आयुष अनुसंधान पोर्टल (https://ayushportal.nic.in.) पर उपलब्ध हैं।

*****

संलग्नक

विभिन्न गतिविधियों के लिए एनएएम के तहत वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक जारी अनुदान सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**जारी की गई राशि (लाख रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	2629.77
2	आंध्र प्रदेश	7578.05
3	अरुणाचल प्रदेश	5018.04
4	असम	13911.37
5	बिहार	8091.86
6	चंडीगढ़	1759.12
7	छत्तीसगढ़	10741.83
8	**दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव**	**892.70**
9	दिल्ली	726.31
10	गोवा	2324.91
11	गुजरात	13504.05
12	हरियाणा	14105.67
13	हिमाचल प्रदेश	14997.06
14	जम्मू-कश्मीर	21829.78
15	झारखंड	13647.80
16	कर्नाटक	20452.17
17	केरल	24534.46
18	लक्षद्वीप	1721.78
19	**मध्य प्रदेश**	**33012.60**
20	**महाराष्ट्र**	**10675.05**
21	मणिपुर	8227.99
22	मिजोरम	4833.38
23	मेघालय	5776.16
24	नागालैंड	7898.27
25	ओडिशा	8710.18
26	पुडुचेरी	2367.08
27	पंजाब	5201.82
28	राजस्थान	26782.82
29	सिक्किम	3897.82
30	तमिलनाडु	21206.83
31	तेलंगाना	9789.23
32	त्रिपुरा	4915.42
33	उत्तर प्रदेश	90103.74
34	उत्तराखंड	14964.02
35	पश्चिमी बंगाल	16292.30
36	लद्दाख	307.04
	कुल	**453428.45**